विधान परिषद् के द्वितीय सत्र-2024 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, मा0 सदस्य, विधान परिषद् द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-11 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
11 (क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में भूमि संबंधी विवादों को लेकर कितने जनपदों में हत्यायें हुई है ?	प्रदेश में भूमि सम्बन्धी विवादों को लेकर वर्ष 2022 में 36 जनपदों/कमिश्नरेटों में कुल 73, वर्ष 2023 में 40 जनपदों/कमिश्नरेटों में कुल 78 एवं वर्ष 2024 (दिनांक 15.7. 2024 तक) में 23 जनपदों/कमिश्नरेटों में कुल 29 हत्या की घटनाएं घटित हुई हैं।
(ख) क्या जमीन संबंधी विवादों को हल करने के लिए कोई त्वरित और प्रभावी नीति बनायेंगे ?	प्रदेश में जमीन सम्बन्धी विवादों (राजस्व वादों) को हल करने के लिए उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 तथा उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली, 2016 प्रभावी है। राजस्व संहिता की अलग-अलग धाराओं तथा राजस्व संहिता नियमावली के अलग-अलग नियमों में प्राविधानित व्यवस्था के आलोक में जमीन संबंधी विवादों (राजस्व वादों) का निस्तारण किया जाता है।
(ग) क्या एक माह के निश्चित समय के भीतर जमीनी विवादों को गुण-दोष के आधार पर दिन प्रतिदिन सुनवाई करके सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सभी भूमि से संबंधित लंबित प्रकरणों को निपटायेंगे ?	जमीनी विवादों (राजस्व वादों) का निस्तारण एक सतत प्रक्रिया है। संगत अधिनियम/नियमावली में प्राविधानित व्यवस्था के आलोक में निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत राजस्व वादों के निस्तारण हेतु राजस्व न्यायालयों में लगभग प्रत्येक कार्य दिवस में वादों का निस्तारण किया जाता है। प्रत्येक दिन नये वाद योजित भी होते हैं। लंबित वादों के निस्तारण के लिए धारावार एवं लंबन की समयावधि के अनुसार समय-समय पर विभिन्न अभियान चलाकर वादों का निस्तारण कराया जाता है। राजस्व वादों के त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण के संबंध में शासनादेश संख्या-462/एक-4-2023, दिनांक 23.5.2023 के अंतर्गत विस्तृत निर्देश भी निर्गत किये गये हैं।
(घ) प्रदेश की सभी तहसीलों में सामान्य तौर पर हड़ताल के कारण निस्तारण में विलम्ब होता है ?	जी हॉ।
(ड़) यदि हॉ, तो प्रदेश की सभी तहसीलों में हड़ताल न हो इसके लिए कोई उपाय सुनिश्चित करायेंगे ?	प्रदेश की तहसीलों में अधिवक्ताओं की हड़ताल न हो, के संबंध में शासनादेश संख्या-462/एक-4-2023, दिनांक 23.5.2023 एवं परिषदादेश संख्या-2801/12-10 रिट/2022 दिनांक 09.09.2022 के अंतर्गत सभी पीठासीन अधिकारियों को बार एसोसियेशन/अधिवक्ताओं से नियमित अंतराल में वार्ता कर समन्वय स्थापित करने के निर्देश भी निर्गत किये गये हैं।
(च) जमीन संबंधित सभी प्रकरणों में शिथिलता बरतने वाले संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय कर उनक खिलाफ कार्यवाही करायेंगे ?	राजस्व वादों के निस्तारण की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/बैठकों के माध्यम से सतत् अनुश्रवण/समीक्षा की जाती है, जिससे राजस्व वादों के निस्तारण में अपेक्षित प्रगति भी आयी है। शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों को शासन/परिषद द्वारा कड़े निर्देश भी निर्गत किये गये हैं।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री।

UO 2023--------